

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री मांगीलाल बोराणा

लोक सूचना अधिकारी

जाति बोराणा

तहसीलदार

निवासी शिवगंज

शिवगंज

तहसील शिवगंज जिला सिरोही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 31 वर्ष 2019

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तागिल में जारी हुए
23.09.2019	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 17.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्रीमती घिसी बाई पुत्री श्री खसाजी जाति घांची निवासी जुना जोगापुरा के नाम कृषि भूमि का नामान्तरण रूकवाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.3.2019 को संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया था। उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 17.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि श्रीमती घिसी बाई पुत्री श्री खसाजी जाति घांची निवासी जुना जोगापुरा के नाम कृषि भूमि का नामान्तरण रूकवाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.3.2019 को संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया था। उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही</p>	